



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226165
CG-DL-E-26032021-226165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1265]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1265]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिकरण

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

समाचार पत्रों के विवरण का शुद्धिकरण

का.आ. 1369(अ).—मंत्रालय द्वारा जारी 3D अधिसूचना क्रमांक का. आ. 284(अ) तारीख 20 जनवरी, 2021 के पैरा 2 जो निम्न प्रकार है

"और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 13.11.2020 को दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित किया गया था "

को निम्न प्रकार शुद्ध किया जाता है:

"और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 14.11.2020 को दैनिक भास्कर और तारीख 13.11.2020 को दैनिक नव-ज्योति में प्रकाशित किया गया था। "

अतः पैरा 2 की अभिव्यक्ति को उक्तानुसार पढ़ा जावे अधिसूचना का शेष भाग यथावत रहेगा।

समाचार पत्रों के विवरण का शुद्धिकरण

[फा. सं. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D18 Corr.]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 26th March, 2021

Corrigendum for Newspapers Details

S.O. 1369(E).—3D Notification issued by the Ministry S.O. 284(E) dated 20 January, 2021 Para 2 is as follows :

"And whereas the substance of the said notification has been published in Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika on 13.11.2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;"

is purified as

"And whereas the substance of the said notification has been published in Dainik Bhaskar on 14.11.2020 and "Dainik Nav Jyoti" on 13.11.2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

Therefore, read the expression of paragraph 2 as above, the remaining part of the notification will remain unchanged.

Corrigendum for Newspapers Details.

[F. No. RW/NH/12012/11/2017/PS-4/RJ/3D18 Corr.]

RAJESH GUPTA, Director